

खुश खबरी

खुश खबरी

दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० रोहतक।

सूचना

एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना (OTS) 2022

हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक के अतिदेय ऋणी सदस्यों जिनके ऋण 31.03.2021 तक अतिदेय (NPA) हो चुके हैं, उनके लिए एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना (OTS) 2022 लागू की है जोकि दिनांक 30.11.2022 तक लागू रहेगी। इस योजना का लाभ सभी अतिदेय ऋणी सदस्य उठा सकेंगे। इस योजना में सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी व पैक्स कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

सहकारी बैंक रोहतक के ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ अतिदेय होने की तिथि से ऋण भुगतान की तिथि तक साधारण 6 प्रतिशत ब्याज सहित ऋण भुगतान करने उपरांत उठा सकेंगे।

योजना से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हेतु बैंक की सभी शाखाओं से, मुख्यालय के अनुभाग प्रभारी, विकास अधिकारी एवं महाप्रबन्धक से सम्पर्क करें।

महाप्रबन्धक

## नोटिस

### सूचना एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना बारे।

श्री ..... सुपुत्र/पत्नी ..... गांव व डाकघर .....  
तहसील ..... जिला ..... आप द्वारा दिनांक ..... को  
मु० ..... ऋण बाबत ..... दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० शाखा  
..... से लिया था जिसकी अदायगी समय पर न करने के उपरान्त आपका ये ऋण  
खाता दिनांक ..... को एन०पी०ए० (अतिदेय) हो चुका है। हरियाणा सरकार ने एक  
मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना 2022 लागू की है जिसके अन्तर्गत आपको एन०पी०ए० तिथि  
.....तक के मु० ..... असल ब्याज ..... कुल ..... राशि के साथ  
(6%) ब्याज ..... दिनांक ..... तक के साथ कुल मु० ..... राशि  
आप 30.11.2022 तक एक मुश्त जमा करा कर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।  
अग्रिम कार्यवाही हेतु शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें।

शाखा प्रबन्धक  
दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० रोहतक।

खुश खबरी

खुश खबरी

दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० रोहतक।

सूचना

एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना (OTS) 2022

हरियाणा सरकार द्वारा रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक के अतिदेय ऋणी सदस्यों जिनके ऋण 31.03.2021 तक अतिदेय (NPA) हो चुके हैं, उनके लिए एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना (OTS) 2022 लागू की है जोकि दिनांक 30.11.2022 तक लागू रहेगी। इस योजना का लाभ सभी अतिदेय ऋणी सदस्य उठा सकेंगे। इस योजना में सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी व पैक्स कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

सहकारी बैंक रोहतक के ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ अतिदेय होने की तिथि से ऋण भुगतान की तिथि तक साधारण 6 प्रतिशत ब्याज सहित ऋण भुगतान करने उपरांत उठा सकेंगे।

योजना से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी हेतु बैंक की सभी शाखाओं से, मुख्यालय के अनुभाग प्रभारी, विकास अधिकारी एवं महाप्रबन्धक से सम्पर्क करें।

महाप्रबन्धक

## नोटिस

### सूचना एक मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना बारे।

श्री ..... सुपुत्र/पत्नी ..... गांव व डाकघर .....  
तहसील ..... जिला ..... आप द्वारा दिनांक ..... को  
मु० ..... ऋण बाबत ..... दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० शाखा  
..... से लिया था जिसकी अदायगी समय पर न करने के उपरान्त आपका ये ऋण  
खाता दिनांक ..... को एन०पी०ए० (अतिदेय) हो चुका है। हरियाणा सरकार ने एक  
मुश्त ऋण ब्याज माफी योजना 2022 लागू की है जिसके अन्तर्गत आपको एन०पी०ए० तिथि  
.....तक के मु० ..... असल ब्याज ..... कुल ..... राशि के साथ  
(6%) ब्याज ..... दिनांक ..... तक के साथ कुल मु० ..... राशि  
आप 30.11.2022 तक एक मुश्त जमा करा कर उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।  
अग्रिम कार्यवाही हेतु शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें।

शाखा प्रबन्धक  
दी रोहतक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० रोहतक।

The Branch Manager,

The Rohtak Central Cooperative Bank Ltd;

Branch Office \_\_\_\_\_

Subject: - Application for Settlement of Loan Account under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022.

Dear Sir,

I borrowed Rs. \_\_\_\_\_ form the Rohtak Central Coop. Bank Ltd; Branch Office \_\_\_\_\_  
On dated \_\_\_\_\_ I could not pay / deposit the loan with interest in time and my loan account is become overdue and classified as NPA as per norms of the Bank. Now I want to settle my loan account under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022 of the Bank. An amount of Rs. \_\_\_\_\_ as principal and Rs. \_\_\_\_\_ as interest total amounting Rs. \_\_\_\_\_ as per Settlement of outstanding as on \_\_\_\_\_.

So you are requested to consider my case under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022. I will abide by all the instructions of the scheme.

Thanking you,

Yours faithfully,

Signature

Address \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Affidavit**

I ..... S/o Shri ..... Resident of .....

..... representative of .....

do hereby solemnly affirm and declare as under:-

1. That I agree to adopt the One Time Settlement (OTS) Scheme 2022 issued by the Registrar, Cooperative Societies, Haryana Panchkula vide letter No. 274348/03/24/21/C-5/2894-960 dated 04.04.2022 for defaulter's falling under NPAs of CCBs.
2. That I will deposited fully settled amount of Rs. .... up to ..... in partially / fully under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022.
3. That I deposited 100% of the settled amount Rs..... as per undertaking given before the Committee constituted of the Bank in its meeting held for settlement of the account under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022.
4. That if settled amount is not paid in time under One Time Settlement (OTS) Scheme 2022, Bank may cancel the settlement under the said policy and forfeit all such payments, so received till date and initiate all legal actions and proceedings as the Bank may be eligible as if no settlement was made.

Deponent

Verification

I verify that the contents of the Affidavit are true to the best of my knowledge and belief and nothing is concealed therein.

Deponent

The General Manager,  
The Rohtak Central Cooperative Bank Ltd;  
Rohtak.

**Subject: - One Time Settlement (OTS) Scheme- 2022 for the Borrowers of DCCB's.**

Dear Sir,

The application of Shri ..... S/o .....  
Resident of..... received for OTS Scheme  
2022 is sent herewith along with prescribed Annexure for your consideration and further  
necessary action under One Time Settlement Scheme.

Thanking you,

Yours faithfully,

Branch Manager

Branch office.....

- Encl: 1. Application of Borrower  
2. Prescribed Annexure.  
3. Aadhaar Number  
4. PAN Number  
5. PPP ID No.  
6. Driving License  
7. Other

